डा0.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

संख्या– F.O./01
दिनांक–01-01-2019

सेवा में,

समस्त नोडल अधिकारी/प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष/केन्द्र अधीक्षक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान
(डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की वार्षिक/सैमिस्टर परीक्षाओं के परिपेक्ष्य में पारिश्रमिक/आकस्मिक/प्रयोगात्मक इत्यादि व्यय के देयकों के भुगतान हेतु आपके द्वारा प्रेषित व्यय की गयी धनराशि/बजट की मॉग के अनुसार विश्वविद्यालय से धन आवंटन किया जाता है। धन आवंटन के सापेक्ष नियम संगत भुगतान का दायित्व आपका है क्योंकि इस सम्बन्ध में समस्त कार्य आपके द्वारा सम्पादित किये जाते है तथा सम्बन्धित अभिलेख भी आपके द्वारा सत्यापित किये जाते है इस परिपेक्ष्य में समुचित लेखांकन की दृष्टि से निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय –

1– क्रय के सुसंगत नियमो के अनुसार कार्य, भुगतान एवं पूर्व में दिये गये अग्रिम का नियम संगत समायोजन कराया जाय ।

2– भुगतान के पूर्व समस्त अभिलेखों जैसे बिल बाउचर टैक्स नियमों आदि का विधिवत् परीक्षण व सत्यापन किया जाय तथा समस्त विधिक दायित्वों जैसे आयकर, टी0डी0एस0 आदि की कटौती कर सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को नियमानुसार उसके सम्बन्धित खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0, चैक आदि के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

3– क्रय तथा व्यय की प्रत्येक कार्यवाही में मितव्यता एवं पारदर्शिता एवं सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– प्रत्येक वाहन बिलों पर बिल संख्या प्रयुक्त वाहन नम्बर, बिल सत्यापन, आदि का अंकन सुनिश्चित किया जाय ।

5– केन्द्र व्यय/नोडल/प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सभी देयक परीक्षा समाप्ति के बाद भुगतान हेतु 2 माह के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा देयकों का भुगतान करना सम्भव नही होगा।

6– सम्बन्धित परीक्षा में शामिल छात्रों के पूर्ण परीक्षा शुल्क जमा का प्रमाण परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त कर साक्ष्य सहित जमा करना होगा ।

7– विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार ही सभी सम्बन्धित देयकों पर नियमानुसार वाहन एवं अन्य मद पर जी0एस0टी0 एवं जी0एस0टी0 पर टी0डी0एस0 की कटौती अनिवार्य रूप से की जाय।

भवदीय
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1.अधीक्षक, कुलपति सचिवालय को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
2.कुलसचिव।
3.परीक्षा नियंत्रक।
4.उपकुलसचिव/अधीक्षक, (लेखा)।
5.समस्त पटल सहायक, लेखा अनुभाग ।
6.एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि समस्त कालेज/संस्थान की लॉगिन में अपलोड करें।

वित्त अधिकारी

Agency
1/1/19